भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4696
दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में सीजीएचएस केंद्र

4696. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य में, विशेषकर बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्रों और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केंद्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन केंद्रों में से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित केंद्रों की संख्या कितनी है और राज्य सरकार द्वारा संचालित केंद्रों की संख्या कितनी है;

(ग) बिहार के सभी जिलों में स्वास्थ्य/सीजीएचएस केंद्रों पर तैनात चिकित्सकों, परिचारिकाओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का बिहार में, विशेषकर बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों में अतिरिक्त स्वास्थ्य/सीजीएचएस केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित केंद्रों का ब्यौरा क्या है, स्वीकृत बजट कितना है और उनके पूर्ण होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बिहार सहित देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

देश भर में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को मजबूत करके कुल 1.84 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) [पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)] चालू किए गए हैं, जिनमें बिहार के 12,382 एएएम शामिल हैं, जो निवारक, प्रोत्साहक, प्रशामक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा केन्द्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन), 2022-23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है, बिहार के बक्सर, कैमूर और रोहतास जिलों सहित देश में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों और चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता का राज्य/ संघ राज्य-वार क्षेत्र विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 9 सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र कार्यशील हैं। बिहार में सीजीएचएस सेंटरों में तैनात चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**पदनाम**	**बिहार में सीजीएचएस केंद्रों पर तैनात चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या**
1.	जीडीएमओ	24
2.	विशेषज्ञ	5
3.	आयुष चिकित्सक	4
4.	नर्सिंग अधिकारी	9
5.	फार्मासिस्ट (एलोपैथी)	18
6.	फार्मासिस्ट (आयुष)	4
7.	जेएचएए	15
8.	कार्यालय अधीक्षक	1

9.	एमटीएस (सीसी)	17
10.	एलएमए	5
11.	एमए	17
12.	एमएलटी	4
13.	जूनियर एमएलटी	1
14.	डेंटल तकनीशियन	1
15.	ड्राइवर	1

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों के लिए 15,000 से 20,000 की शहरी आबादी के लिए एक शहरी एएएम, 30,000 से 50,000 की शहरी आबादी के लिए एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू-पीएचसी), गैर-महानगरों (5 लाख से अधिक आबादी वाले) में प्रत्येक 2.5 लाख आबादी के लिए एक यू-सीएचसी और महानगरों में प्रत्येक 5 लाख आबादी के लिए एक यू-सीएचसी की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, फर्स्ट रेफरल यूनिट, उप जिला अस्पताल (एसडीएच) और जिला अस्पताल (डीएच) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मध्यम परिचर्या सेवा प्रदान करते हैं।

किसी नए शहर में नया सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र खोलने के लिए कम से कम 2500 मुख्य कार्डधारक या 6000 लाभार्थी होने चाहिए। इसके अलावा, नए आरोग्य केन्द्र की स्थापना स्वीकृत पदों की उपलब्धता और आवश्यक बजटीय प्रावधानों की मंजूरी के अध्यधीन है।
